

कार्यालय-मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य के सील/ध्वस्तीकरण हेतु आदेश)

पत्रांक : 1437/

वाद सं० आर-0156/एस-9/2026

दिनांक: 09/7/2026

श्री शुभम गोयल
फुलसैनी रोड पौधा
देहरादून ।

आपके द्वारा उपरोक्त स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण/प्लानिंग करने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० आर-0156/एस-9/2026 योजित किया गया था।

उपरोक्त वाद में दिनांक 07.02.2026 को उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम, 2009, की धाराओं के अन्तर्गत आपको "कारण बताओ नोटिस" एवं निर्माण कार्य रोकने की सूचना प्रेषित की गयी।

उक्त नोटिस के द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, आप द्वारा किये जा रहे उपरोक्त अनाधिकृत निर्माण में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.02.2026 की तिथि नियत की गयी, नियत तिथि पर विपक्षी अनुपस्थित रहे, जिसमें क्षेत्र अभियन्ता की आख्या के अनुसार विपक्षी द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है, कई बार कर्मचारियों के द्वारा कार्य रोकवाने के बाद भी विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य नहीं रोका जा रहा है और न ही उक्त निर्माण का शमन मानचित्र प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी द्वारा निरन्तर किये जा रहे अवैध निर्माण को सील किया जाना उचित होगा। विपक्षी द्वारा जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो कि उचित नहीं है।

अतः चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण में सीलिंग की कार्यवाही के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयत्न शेष नहीं रह जाता है। इसी क्रम में आपके द्वारा किये गये चालान शुदा अनाधिकृत निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं।

-आदेश-

विपक्षी श्री शुभम गोयल फुलसैनी रोड पौधा देहरादून द्वारा उपरोक्त वर्णित पते/स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से विचलन करते हुए निर्माण किया जा रहा है। अनाधिकृत निर्माण करने के कारण उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः चालान शुदा निर्माण को सील किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। उक्त अनाधिकृत निर्माण को दिनांक 13.7.26 को सील किया जाना है। आदेश की प्रति स्थल पर चरपा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय। अनुसार सूचित हो।


पीठासीन अधिकारी/संयुक्त सचिव
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।